बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

एस0ओ0 पटना,दिनांक 20-12-19

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक– 01.04.2019 से प्रभावी होने वाले दरों के निर्धारण से संबंधित निर्गत अधिसूचना में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं किसी अधिनियम /नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं वर्गीकरण किए जाने का प्रावधान लागू किया गया था।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या– 2539/2010 हिन्दुस्तान सैनेटरीवेयर एवं इडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं सिविल अपील संख्या– 4454/2019 (एस0 एल0पी0 (सिविल) संख्या– 5832/2018 से उद्भुत) फरीदावाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में न्यायदेश पारित किया गया है। पारित न्यायदेश के अनुसार "Categorization of unskilled employees as semi skilled and semi skilled as skilled on the basis of their experience is ultra virus"

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना के applicability के संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया । विधि विभाग के परामर्श के अनुसार categorization / discrimination based on the experience or skills of the employees is not permissible in view of the judgment of the Hon'ble Supreme Court. The power vested in the Government is to fix/revise the minimum rate of wages without making alterations to the terms of the contract as per the Minimum Wages Act, 1948.

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या– 992– 993, 994–995, 996–997, 998–999, 1000–1001, 1002–1003 दिनांक– 26.02.2019 में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं किसी अधिनियम /नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं वर्गीकरण से संबंधित प्रावधान को निरस्त किया जाता है।

5. श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत किए गए उक्त अधिसूचना संख्या– 992– 993, 994–995, 996–997, 998–999, 1000–1001, 1002–1003 दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में कामगारों को भुगतान की गई राशि की वसूली यद्यपि नहीं की जाएगी तथापि उनके पूर्व के पद पर (यदि उनके कोटि का उन्नयन किया गया हो) वापस (Restore) किया जा सकता है।

(5/एम0डब्लू0–40–06/2015 श्र0सं0 5036)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

20-12-19
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–06/2015 श्र०सं०– 5036 पटना, दिनांक– 20-12-19

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20-12-19
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–06/2015 श्र०सं०– 5036 पटना, दिनांक– 20-12-19

प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार /बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस महानिरीक्षक/ सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त सभी श्रम अधीक्षक, निदेशक, (कृषि श्रमिक) बिहार, पटनां/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

20-12-19
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–06/2015 श्र०सं०– 5036 पटना, दिनांक– 20-12-19

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बस ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज फेडरेशन हाउस/ कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, बिहार/ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया / कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया/बिहार ईट निर्माता संघ/ बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना / मुख्य प्रबंधक निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि0/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 / प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य आवास बोर्ड/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट लि0/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन /प्रबंध निदेशक, बिहार अरबन इनफास्टेक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन /प्रबंध निदेशक, कॉमफेड /कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

20-12-19
(मोहन रजक)
अवर सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–06/2015 श्र०सं०– 5036 दिनांक– 20-12-19

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20-12-19
(मोहन रजक)
अवर सचिव।